

3/1  
३/१  
निर्गत तिथि

३/१०/१६  
३/१०/१६  
३/१०/१६


## अंचल अधिकारी का कार्यालय, घनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 1692 (२) / 20.८.७.

### (I) आदेश फलक

दिनांक	प्रवाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
४/९/१६	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती <u>जगन्नाथ देवी</u>  पितृपति श्री <u>जगत्किरण लालाङ्क</u> साकिम <u>चंद्री कुमार</u>  याना <u>लेटर्सो</u> जिला-घनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।  आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मीजा <u>विष्णुकृष्ण</u>  मीजा नं० ०५ खाता नं० १। प्लॉट नं० ३५  रकवा १०६२५९४१ ज्ञा २०६४५८५१</p> <p>दलील सं० ३४९८ दिनांक २२/९/१६ के  द्वारा श्री/श्रीमती <u>जगन्नाथ देवी</u> से  प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हस्तका कर्मचारी को जीव हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत  करें। अभिलेख दिनांक <u>२२/९/१६</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी घनबाद।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी  व्यक्ति ने आपति नहीं किया है। हस्तका कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जीव प्रतिवेदन  प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है।</li> <li>जमावदी सं० १९२३ में विक्रेता के विक्रेती के द्वारा के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निर्धारित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निवांधन घनबाद कलकज्ज्वल निवांधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की प्राप्ति को कोषाणा में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हस्तका कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जीव प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को <u>२२/९/१६</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हस्तका कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हस्तका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">१०/९/१६</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी</p>	
२२/९/१६	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी  व्यक्ति ने आपति नहीं किया है। हस्तका कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जीव प्रतिवेदन  प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है।</li> <li>जमावदी सं० १९२३ में विक्रेता के विक्रेती के द्वारा के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निर्धारित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निवांधन घनबाद कलकज्ज्वल निवांधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की प्राप्ति को कोषाणा में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हस्तका कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जीव प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को <u>२२/९/१६</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हस्तका कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हस्तका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">१०/९/१६</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी</p>	<p>जीव हेतु आवेदन पत्र पाया।</p> <p style="text-align: right;">१०/९/१६</p> <p style="text-align: right;">शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>

लेखा नं १०१८  
निर्गत तिथि  
२०१८



## में निहित इस्टेटों के अभियारियों (रेयत) का नामालबण (दाखिल-खारिज) दिग्नानेवाला शुद्ध-प्र

लो- धनबाद, अनुमण्डल -धनबाद अंचल -धनबाद, हल्का. स०.-() स्टट का नाम- झारखण्ड

क्रम संख्या	पंजी संख्या २७ मे	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सब्द अनुचित की संख्या	नामान्तरण मृग करनेवाला प्राचीन ग्रंथ आदेश की लाइब्रे	नामान्तरण किस कारण में होता है निकी, दान विनियम उत्तराधिकार या दस्तावेज़ हुआ है?	कर्मचारी हाता हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्ध की गई?	अनुचित
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

दा० खा० १६९२ (१) २०१८.८.८

विष्णुपुर

धनबाद

खाता- ०१ —  
प्लाट- ७५ —  
रकवा- १.६२५ कहा या २.६४५ डि —  
लगान- २.८८५ डि -२१५ —

अंचल अधिकारी  
धनबाद

विक्री/उच्चाधिकारी  
दलील संख्या ३४७९  
दिनांक २१.८.१८

पुराना जमा०:- १९७२  
पुराना रेयत:- ग्रीष्मी छुड़मु लिंग  
नया रेयत:- ग्रीष्मी लमिङ लिंग  
परि-श्री उरिक्केश्वर उद्याद  
सा - शुल्ली हू ल्लोक चेक्टर  
८ शुल्ली चक्कार

जमा सं० — मे दर्ज किया

अंचल  
अधिकारी

धनबाद

कर्मचारी हल्का सं० () को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अ. अ. अ. अ. अ.

कोपी